संख्या-39/2024/4140/22-2-2023-17(1410)/2023

प्रेषक,

मदन मोहन,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/ महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 08 अप्रैल 2024

विषय:- केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी दीपक पुत्र श्री रामचरन, निवासी जनपद-अमरोहा (जे0पी0नगर) की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधीक्षक (मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-35583/प्रोबेशन-3-फार्म-ए/(एम-30-11-2023) दिनांक-11-12-2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी दीपक पुत्र श्री रामचरन, जो घोसीपुरा, थाना-रजबपुर, जनपद-अमरोहा (जे0पी0नगर) का निवासी है। बन्दी द्वारा पुरानी मुकदमेंबाजी की रंजिश को लेकर दिनांक 07-12-2003 को बन्दी ने अपने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बन्दूक व राइफल से गोली मारकर तनसुख सिंह नामक व्यक्ति की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को (1)- सत्र परीक्षण संख्या-157/2005 में भा0द0वि0 की धारा-302/34 में मा0 सत्र न्यायाधीश, जे0पी0नगर के आदेश दिनांक 19-01-2008 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया (2)- सत्र परीक्षण संख्या-55/2003 में भा0द0वि0 की धारा-307/34 में मा0 ए0एस0जे0/एफ0टी0सी0-02, जे0पी0नगर के आदेश दिनांक 31-01-2007 द्वारा 07 वर्ष के कारावास से दण्डित किया गया। (3)- सत्र परीक्षण संख्या-80/2003 में भा0द0वि0 की धारा-3(1)यू0पी0जी0 एक्ट में मा0 ए0एस0जे0-04, अमरोहा के आदेश दिनांक 05-11-2019 द्वारा 10 दिन के कारावास से दण्डित किया गया। दिनांक 06-10-2022 तक बन्दी की आयु 39 वर्ष है तथा बन्दी द्वारा दिनांक 06-10-2022 तक अपरिहार 15 वर्ष 02 माह 24 दिन तथा सपरिहार 19 वर्ष, 09 दिन की सजा भोगी गयी है।

पुलिस अधीक्षक, अमरोहा द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, भविष्य में अपराध करने की सम्भावना से इन्कार नहीं किये जाने, पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं होने, जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने की आख्या अंकित करते हुये समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी व जिला मजिस्ट्रेट, अमरोहा द्वारा बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध करने की सम्भावना से इन्कार नहीं किये जाने, जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने की आख्या अंकित करते हुये समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

सिद्धदोष बंदी दीपक पुत्र रामचरन की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई पर विचार-विमर्श किया गया। प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि पुरानी मुकदमेंबाजी की रंजिश को लेकर दिनांक 07-12-2003 को बन्दी ने अपने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बन्दूक व राइफल से गोली मारकर तनसुख सिंह नामक व्यक्ति की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत सन्देश जायेगा। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी दीपक पुत्र रामचरन को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी दीपक (बन्दी संख्या-47526) पुत्र श्री रामचरन, निवासी जनपद-अमरोहा (जे0पी0नगर) को यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की फार्म-ए/लाइसेन्स पर मुक्ति सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तद्नुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।
(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
मदन मोहन
विशेष सचिव।

संख्या-39/2024/4140/22-2-2023 तद्दिनांक...

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट, अमरोहा (जे0पी0 नगर)
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार बरेली।
3- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
5- नोडल अधिकारी/अधीक्षक जिला कारागार, गाजियाबाद को मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित रिट याचिका संख्या-178/2022 मणिकान्त व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.01.2023 के सन्दर्भ में।
6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-39/2024/4140/22-2-2023-17(1410)/2023

दिनांक 08 अप्रैल, 2024 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी दीपक पुत्र श्री रामचरन, जो घोसीपुरा, थाना-रजबपुर, जनपद-अमरोहा (जे0पी0नगर) का निवासी है। बन्दी द्वारा पुरानी मुकदमेंबाजी की रंजिश को लेकर दिनांक 07-12-2003 को बन्दी ने अपने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बन्दूक व राइफल से गोली मारकर तनसुख सिंह नामक व्यक्ति की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को (1)- सत्र परीक्षण संख्या-157/2005 में भा0द0वि0 की धारा-302/34 में मा0 सत्र न्यायाधीश, जे0पी0नगर के आदेश दिनांक 19-01-2008 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया (2)- सत्र परीक्षण संख्या-55/2003 में भा0द0वि0 की धारा-307/34 में मा0 ए0एस0जे0/एफ0टी0सी0-02, जे0पी0नगर के आदेश दिनांक 31-01-2007 द्वारा 07 वर्ष के कारावास से दण्डित किया गया। (3)- सत्र परीक्षण संख्या-80/2003 में भा0द0वि0 की धारा-3(1)यू0पी0जी0 एक्ट में मा0 ए0एस0जे0-04, अमरोहा के आदेश दिनांक 05-11-2019 द्वारा 10 दिन के कारावास से दण्डित किया गया। दिनांक 06-10-2022 तक बन्दी की आयु 39 वर्ष है तथा बन्दी द्वारा दिनांक 06-10-2022 तक अपरिहार 15 वर्ष 02 माह 24 दिन तथा सपरिहार 19 वर्ष, 09 दिन की सजा भोगी गयी है।

पुलिस अधीक्षक, अमरोहा द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, भविष्य में अपराध करने की सम्भावना से इन्कार नहीं किये जाने, पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने, जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने की आख्या अंकित करते हुये समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी व जिला मजिस्ट्रेट, अमरोहा द्वारा बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध करने की सम्भावना से इन्कार नहीं किये जाने, जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने की आख्या अंकित करते हुये समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

सिद्धदोष बंदी दीपक पुत्र रामचरन की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई पर विचार-विमर्श किया गया। प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि पुरानी मुकदमेंबाजी की रंजिश को लेकर दिनांक 07-12-2003 को बन्दी ने अपने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बन्दूक व राइफल से गोली मारकर तनसुख सिंह नामक व्यक्ति की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत सन्देश जायेगा। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी दीपक पुत्र रामचरन को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा बन्दी की फार्म-ए/लाइसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

मदन मोहन
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।